

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE Cr.P.C.
IN THE COURT OF FARHAN M. OURESHI, J.M.F.C. Bhikangaon (M.P.)

Case No.-

Complaint or report made on.....

आबकारी विभाग भीकनगांव

Name,

Parentage caste

& Address of Accused

अर्जुन 510 गेंदाला पालि गोड
उम्र 26 वर्ष निवासी बमनाला
P.S भीकनगांव

The offence complained of and date of its alleged commission

आपने दिनांक 31/08/22 को 10:30 AM बजे ग्राम बमनाला P.S भीकनगांव मध्य प्रदेश आबकारी अधि० के अधीन बनाये गये नियम या आदेश या शर्त के उल्लंघन में ०४ लीटर दारु भरी मटरी। मदिरा को कब्जे में रखा।

इस प्रकार आपने मध्य प्रदेश आबकारी अधि० की धारा 34(1)(क) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया।

(फरहान एम. कुरेशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
भीकनगांव प.नि. (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार

अर्जुन

(फरहान एम. कुरेशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
भीकनगांव प.नि. (म.प्र.)

The offence proved, if any, & in case under clause, (d) clause, (e), clause, (f) or clause (g), or sub-section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

पिपरी
805

न्यायालय :- न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भीकनगांव प.नि.(म0प्र0)
(रामक्ष- फरहान एम. कुरैशी)

// (निर्णय) //

(आज दिनांक 11/10/22 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त/अभियुक्तगण को आवकारी अधि० की धारा 34(1)(क) के अन्तर्गत अपराध विवरण पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छया, बिना किसी दबाव के अपराध करना स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के अभिवाक् को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त/अभियुक्तगण को गारिवीक्षा अधि० का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण को आवकारी अधि० की धारा 34(1)(क) के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 800/- के जुर्माने से दण्डित किया जाता है।

03. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा जुमनि की राशि अदा नहीं करने पर उसे प्रत्येक अपराध के लिए 08 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

04. प्रकरण में जप्तशुदा & लिस्ट डाथ अस्टे मॉरिय दरी शराब अपील अदालत पश्चात नष्ट की जावे।

स्थान :- भीकनगांव (म0प्र0)
दिनांक :- 11/10/22

(फरहान एम. कुरैशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
भीकनगांव प.नि. (म.प्र.)